

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.एस.

मि०न० -166/2018

अनवान : -



1. हवासिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रतनपुरा भादरा तहसील भादरा।
2. सुरतसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रतनपुरा भादरा तहसील भादरा।
3. भालसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रतनपुरा भादरा तहसील भादरा।

-वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. बलवीर पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. बिमला पुत्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. शकुंतला पुत्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
6. सदाकोरी पत्नी जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
7. रोहताश पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
8. सुभाष जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
9. बलवान जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
10. मनीष पुत्र रामकुमार पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
11. राजमल पुत्र विशम्बरदयाल अहीर निवासी बीड भादरा तहसील भादरा।
12. रामफल पुत्र विशम्बरदयाल अहीर निवासी बीड भादरा तहसील भादरा।
13. विकास पुत्र राजमल अहीर निवासी बीड भादरा तहसील भादरा।
14. धर्मपाल पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
15. जगदीश पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
16. रमेश उर्फ महेश पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
17. सुबाराम पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
18. मांडा उर्फ मानसिंह पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
19. काशीराम पुत्र महीपत जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।
20. गिन्नी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।
21. ओमप्रकाश पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।
22. भारतीय स्टेट बैंक बस स्टैण्ड जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
23. आरएमजीबी मलखेड़ा जरिये शाखा प्रबंधक मलखेड़ा तहसील भादरा।
24. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा तहसील भादरा।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझा शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री गोस्वामी व वकील प्रतिवादी योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31.12.2021 के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है कि-

हवासिंह, सुरतसिंह, भालसिंह - रोही मौजा चक 1 बीएचडी के मु० न० 37 के किला न० 15, 16 की 0.506 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि बहिस्सा बराबर

कविता पुत्री आसाराम 400/10120, बलवान पुत्र जीतराम 1163/10120, बलवान पुत्र रजणीत 506/10120, बलवीर पुत्र आसाराम 600/10120, विमला पुत्री आसाराम 400/10120, मनीष पुत्र रामकुमार 1163/10120, महेन्द्र पुत्र आसाराम 600/10120, राजमल पुत्र विशम्बरदयाल 802/10120, रामफल पुत्र विशम्बरदयाल 810/10120, रोहताश पुत्र जीतराम 1035/10120, विकास पुत्र राजमल 802/10120, शकुंतला पुत्री आसाराम

400/10120, सदाकोरी पत्नी जीतराम 412/10120, सुभाष पुत्र जीतराम 1035/10120 - रोही मौजा चक 1 बीएचडी के मु० न० 33 के किला न० 11 ता 13, 18 ता 22, मु० न० 34 के किला न० 14 ता 17, 23 ता 25, मु० न० 35 के किला न० 3 ता 5, मुरब्बा न० 36 के किला न० 1, मुरब्बा न० 37 के किला न० 5, 6, मुरब्बा न० 78 के किला न० 1 ता 10, मुरब्बा न० 79 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल 10.120 हैक्टेयर जिसमें नहरी 7.465 है० बारानी 2.530 है० गैर मुमकिन खाला 0.125 है० खातेदारी


सुरतसिंह, हवासिंह - रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु० न० 73 के किला न० 22 की 0.253 है०, मु० न० 82 के किला न० 2, 3, 8, 13, 18 की कुल 1.265 है० इस प्रकार कुल 1.518 हैक्टेयर जिसमें नहरी 1.505 है० रास्ता 0.013 है०

ओमप्रकाश पुत्र नेतराम 481/5516, काशीराम पुत्र महीपत 253/27, गिन्नी पत्नी नेतराम 455/5516, जगदीश पुत्र बालगिर 815/5516, धर्मपाल पुत्र बालगिर 815/5516, महेश पुत्र बालगिर 543/5516, मांडा उर्फ मानसिंह पुत्र बालगिर 543/5516, मांडा उर्फ मानसिंह पुत्र बालगिर 815/5516, शुभाराम पुत्र बालगिर 543/5516 - रोही मौजा चक 16 एएमएस के मुरब्बा न० 73 के किला न० 18, 19, 23, मुरब्बा न० 95 के किला न० 5/1 की 0.203, 5/2 की 0.025, 6/1 की 0.203, 6/2 की 0.025, मुरब्बा न० 96 के किला न० 1, 2, 7 ता 14, 17 ता 23 इस प्रकार कुल 5.516 हैक्टेयर जिसमें नहरी 4.668 है० बारानी 0.759 है० गैर मुमकिन रास्ता 0.039 है०, गैर मुमकिन खाला 0.050 है०

इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावे। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। विभाजन प्रस्ताव को निर्णय का भाग पढ़ा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(शकुंतला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
भदरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.एस.

मि0न0 - 166 / 2018 (2018 / 00325)

अनवान : -



1. हवासिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रतनपुरा भादरा तहसील भादरा।
2. सुरतसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रतनपुरा भादरा तहसील भादरा।
3. भालसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रतनपुरा भादरा तहसील भादरा।

-वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. बलवीर पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. बिमला पुत्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. शकुंतला पुत्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
6. सदाकोरी पत्नी जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
7. रोहताश पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
8. सुभाष जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
9. बलवान जीतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
10. मनीष पुत्र रामकुमार पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
11. राजमल पुत्र बिशम्बरदयाल अहीर निवासी बीड भादरा तहसील भादरा।
12. रामफल पुत्र बिशम्बरदयाल अहीर निवासी बीड भादरा तहसील भादरा।
13. विकास पुत्र राजमल अहीर निवासी बीड भादरा तहसील भादरा।
14. धर्मपाल पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
15. जगदीश पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
16. रमेश उर्फ महेश पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
17. सुबाराण पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
18. मांडा उर्फ मानसिंह पुत्र बालगीर गुसाई निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
19. काशीराम पुत्र महीपत जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।
20. गिन्नी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।
21. ओमप्रकाश पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।
22. भारतीय स्टेट बैंक बस स्टैण्ड जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
23. आरएमजीबी मलखेड़ा जरिये शाखा प्रबंधक मलखेड़ा तहसील भादरा।
24. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा तहसील भादरा।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तक्सीम  
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादीगण अधिवक्ता  
श्री योगेश शर्मा, रामचन्द्र सिंवर प्रतिवादीगण अधिवक्ता

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी के खाता संख्या 36/32 के मु0 न0 33 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 22, मु0 न0 34 के किला न0 14 ता 17, 23 ता 25, मु0 न0 35 के किला न0 3 ता 5, मुरब्बा न0 36 के किला न0 1, मुरब्बा न0 37 के किला न0 5, 6, 15, 16 मुरब्बा न0 78 के किला न0 1 ता 10, मुरब्बा न0 79 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल किता 42 की कुल 10.626 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला की खातेदारी में वादी संख्या 1 ता 3 के नाम से 40 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 की खातेदारी है। इसी प्रकार रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता संख्या 70/67 के मुरब्बा न0 73 के किला न0 18, 19, 22, 23, मुरब्बा न0 82 के किला न0 2, 3, 8, 13, 18, मुरब्बा न0 95 के किला न0 5, 6, मुरब्बा न0 96 के किला न0 1, 2, 7 ता 14, 17 ता 23 इस प्रकार कुल किता 28 की कुल 7.034 हैक्टेयर नहरी बारानी मय रास्ता खाला खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें वादी सुरतसिंह व हवासिंह के नाम से 120 हिस्सा बहिस्सा बराबर, इस खाता की शेष खातेदारी प्रतिवादी संख्या 14 ता 21 की खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। वादी ने अपने हिस्सा में भूमि को लाखों रुपये खर्च कर उसे समतल व उपजाऊ बनाया तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था की है एवं रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्म के अनुसार खाता तकसीम किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी 11 ता 13 की ओर से अधिवक्ता रामचन्द्र सिंवर ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 24 की ओर से अधिवक्ता योगेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण वावजूद तामिल उपस्थित नही आये, इसलिये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2021 ग्राम पंचायत न्यांगल में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तसहीलदार भादरा को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया।

विभाजन प्रस्ताव पेश होने के उपरान्त वादीगण या प्रतिवादीगण पक्षकारान के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नही की। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की सुनी गई। जिसमें उन्होंने मुताबिक विभाजन दिनांक 31.12.2021 के अनुसार वाद भूमि का खाता तकसीम कर पक्षकारान के नाम अलग-अलग खाते कायम किये जाकर उनका माल व लगान अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी जाने के उपरान्त दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31.12.2021 के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है।

उपस्थित अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हवासिंह, सुरतसिंह, भालसिंह – रोही मौजा चक 1 बीएचडी के मु० न० 37 के किला न० 15, 16 की 0.506 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि बहिस्सा बराबर

कविता पुत्री आशाराम 400/10120, बलवान पुत्र जीतराम 1163/10120, बलवान पुत्र रजणीत 506/10120, बलवीर पुत्र आशाराम 600/10120, विमला पुत्री आशाराम 400/10120, मनीष पुत्र रामकुमार 1163/10120, महेन्द्र पुत्र आशाराम 600/10120, राजमल पुत्र विशम्बरदयाल 802/10120, रामफल पुत्र विशम्बरदयाल 810/10120, रोहताश पुत्र जीतराम 1035/10120, विकास पुत्र राजमल 802/10120, शकुंतला पुत्री आशाराम 400/10120, सदाकोरी पत्नी जीतराम 412/10120, सुभाष पुत्र जीतराम 1035/10120 – रोही मौजा चक 1 बीएचडी के मु० न० 33 के किला न० 11 ता 13, 18 ता 22, मु० न० 34 के किला न० 14 ता 17, 23 ता 25, मु० न० 35 के किला न० 3 ता 5, मुरब्बा न० 36 के किला न० 1, मुरब्बा न० 37 के किला न० 5, 6, मुरब्बा न० 78 के किला न० 1 ता 10, मुरब्बा न० 79 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल 10.120 हैक्टेयर जिसमें नहरी 7.465 है० बारानी 2.530 है० गैर मुमकिन खाला 0.125 है० खातेदारी

सुरतसिंह, हवासिंह – रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु० न० 73 के किला न० 22 की 0.253 है०, मु० न० 82 के किला न० 2, 3, 8, 13, 18 की कुल 1.265 है० इस प्रकार कुल 1.518 हैक्टेयर जिसमें नहरी 1.505 है० रास्ता 0.013 है०

ओमप्रकाश पुत्र नेतराम 481/5516, काशीराम पुत्र महीपत 253/27, गिन्नी पत्नी नेतराम 455/5516, जगदीश पुत्र बालगिर 815/5516, धर्मपाल पुत्र बालगिर 815/5516, महेश पुत्र बालगिर 543/5516, मांडा उर्फ मानसिंह पुत्र बालगिर 543/5516, मांडा उर्फ मानसिंह पुत्र बालगिर 815/5516, शुभाराम पुत्र बालगिर 543/5516 – रोही मौजा चक 16 एएमएस के मुरब्बा न० 73 के किला न० 18, 19, 23, मुरब्बा न० 95 के किला न० 5/1 की 0.203, 5/2 की 0.025, 6/1 की 0.203, 6/2 की 0.025, मुरब्बा न० 96 के किला न० 1, 2, 7 ता 14, 17 ता 23 इस प्रकार कुल 5.516 हैक्टेयर जिसमें नहरी 4.668 है० बारानी 0.759 है० गैर मुमकिन रास्ता 0.039 है०, गैर मुमकिन खाला 0.050 है०

इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। विभाजन प्रस्ताव को निर्णय का भाग पढ़ा जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



  
(शकुंतला चौधरी)

R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़